[illegible] तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

[illegible] तारीख रजू 19/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का डीडेस्या बनाम
[illegible] पुत्र मिश्रीलाल जाति माली निवासी पीपलिया बालाजी तहसील महवा
[illegible]

[illegible] धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 9/3/18

[illegible]

[illegible] मुकाम महवा हमारे संमक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि [illegible] देवीराम, भगवान सहाय ग्राम पीपलिया बालाजी की भूमि ख.न. 838 रकबा 0.03 [illegible] गै.मु. रास्ता फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 2074 में गेहूं कर अतिक्रमण किया [illegible] अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 [illegible] किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित [illegible] उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 838 रकबा 0.03 किस्म गै.मु. रास्ता वाके ग्राम पीपलिया बालाजी से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 1.32 का 50 गुणा 66 रू. शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल गेहूं को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया

तहसीलदार
तहसील महवा (दौसा)
तहसीलदार महवा

रजिस्टर [illegible] 65
वर्ष 2017-18 [illegible] पर
की [illegible]
की [illegible] 66 रू.
दिनांक 21/3/18

[illegible]खाकार
तहसील-महवा